अध्याय 3

ISID26

ipk;rh jkt

1. आपके गाँव या शहर में सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, आदि की व्यवस्था कैसी है? क्या उनसे संबंधित आपकी कुछ समस्याएँ हैं?
2. आपके ग्राम पंचायत या नगर पालिका ने उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए हैं?

आइए, इस पाठ में हम ग्राम पंचायत के गठन और उसके कार्यो के बारे में पढ़ेंगे।

xke ipk;r

कमालपुर गाँव के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ने कक्षा 6 के छात्र–छात्राओं से पंचायत के बारे में पता करने को कहा है।

एक सप्ताह के भीतर उन्हें अपने ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, उपसरपंच, सचिव और ग्रामसभा के बारे में जानकारी लाने को कहा।

काम इस प्रकार बँटा था–नेहा पंच से संबंधित जानकारी देगी। संध्या सरपंच के विषय में कक्षा को बताएगी। जगमोहन और सुभाष ग्रामसभा के काम और अधिकारों का पता लगाएँगे। शिक्षक ने अभय से कहा कि वह ग्राम पंचायत के गठन के नियमों एवं उसके कामों के बारे में पता करें।

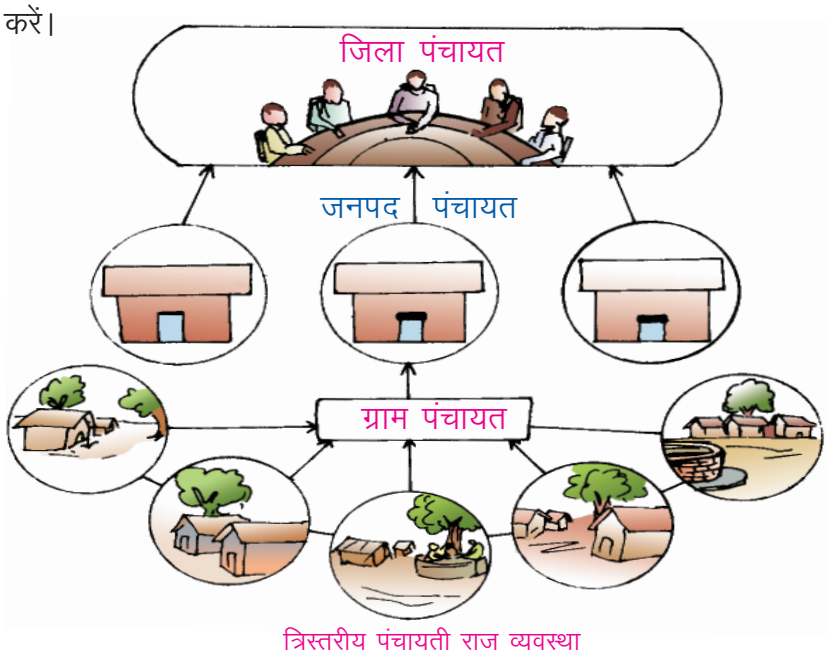

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

ISS93T

xke ipk;r puko

नेहा का काम बहुत सरल था, उसकी भाभी उमा मदनपुर की पंच थी। पंचों के बारे में जानने के लिए नेहा शाम का खाना खाकर उमा भाभी के पास पहुँच गई।

okM vkj ipk dk puko

नेहा – भाभी, ये तो हम जानते हैं कि आप पंच हैं, मगर आप पंच कैसे बनी? क्या पंचायत में आपकी तरह और भी पंच हैं?

उमा – किसी भी पंचायत में 10 से 20 तक पंच होते हैं। सभी वार्डों के वयस्क लोग मिलकर उन पंचों को चुनते हैं।

नेहा – ये वार्ड क्या होता है, भाभी?

उमा – प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाके को जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बाँटा जाता है। इन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड के वयस्क लोग मिलकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या पंच चुनते है। इस तरह प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं। मैं मातापुरा वार्ड से पंच बनी हूँ।

उमा भाभी ये तो ठीक है, मगर आप इस वार्ड की पंच कैसे बनीं?

उमा – पंच के चुनाव में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। चुनाव में खड़े होनेवालों को 'उम्मीदवार' कहते हैं। मैं मातापुरा वार्ड से खड़ी हुई थी। जब एक से अधिक 'उम्मीदवार' होते हैं तो उनमें से एक को चुनने के लिए मतदान होता है। वार्ड के लोग वोट देते हैं और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वह पंच बन जाता है।

लेकिन मातापुरा वार्ड से मैं अकेली ही चुनाव में खड़ी हुई थी इसलिए मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए मैं तो ''निर्विरोध'' चुनी गई।

पंचायत को वार्डों में बाँटने के क्या–क्या फायदे होंगे? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

ernkrk

नेहा – भाभी क्या हम भी चुनाव में मत दे सकते हैं?

उमा – नहीं! अभी तुम और संध्या केवल 12 वर्ष के हुए हो। मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हर गाँव की एक मतदाता सूची होती है। गाँव का पटवारी या वहाँ के शिक्षक घर–घर जाकर चुनाव के पहले मतदाता सूची को सही बना लेते हैं। यह सभी जानकारी नेहा ने अपनी कक्षा को दी।

1- irk dhft, fd vkid xke ipk;r e fdru okM vkj ip gA

2- vki viu okM d ip dk uke irk dhft,A

3- mek HkkHkh fufojk/k D;k puh xb \ lgh dkj.k ij lgh dk fu'kku yxkb,&

¼v½ D;kfd og ,d efgyk FkhA

¼c½ D;kfd mldk lcl T;knk ykx iln djr FkA

¼l½ D;kfd mld okM l vkj dkbZ puko e [kMk ugh gvk FkkA

bue l dku&dku ekrkijk okM d ernkrk gkx\

Ø-	uke	firk dk uke	me	fyx	okM dk uke
1.	सोनल	रामसिंह	16	महिला	मातापुरा
2.	सपना	रामसिंह	19	महिला	मातापुरा
3.	शंकर	कमलभान	18	पुरूष	मातापुरा
4.	कल्लू	कोमलसिंह	25	पुरूष	मातापुरा
5.	समीना	अफजल	15	महिला	मातापुरा

ikp lky e puko

नेहा के मन में एक सवाल उठा – क्या एक बार चुनाव जीत लिया तो भाभी हमेशा पंच बनी रहेंगी? उसने यह बात उमा भाभी से पूछा।

उमा – नहीं रे। पंचायत का चुनाव हर पाँच साल में होता है। कोई भी केवल पाँच साल के लिए ही पंच चुना जा सकता है। पिछला पंचायत चुनाव दो साल पहले हुआ था। मैं बस तीन साल और पंच रहूँगी। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे।

चित्र–3.1 पंचायत चुनाव

1- ip doy ikp lky d fy, pu tkr gA D;k \ d{kk e ppk dhft,A

2- fdlh dk ge'kk d fy, ip D;k ugh puk tkrk g & d{kk e ppk dhft,A

ljip vkj mi ljip

संध्या को सरपंच के बारे में पता करना था। वह एक दिन पंचायत भवन में गई और सीधे सरपंच कलावती से ही पूछताछ करने लगी।

संध्या – आप सरपंच कैसे बनीं ?

कलावती – पंचो की तरह सरपंच को भी सभी लोग वोट डालकर चुनते हैं। फर्क यह है कि पंच को सिर्फ एक ही वार्ड के लोग चुनते हैं जबकि सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता चुनते हैं।

संध्या – मगर सरपंच बनकर आपको काम क्या करना पड़ता है?

कलावती – सरपंच ही पंचायत का मुखिया होता है। मुझे हर महीने सभी पंचों को बुलाकर बैठक करानी होती है। इस बैठक की अध्यक्षता मैं ही करती हूँ यानी बैठक को मैं ही संचालित करती हूँ। पूरे

ग्रामपंचायत के मतदाताओं को बुलाकर ग्राम सभा भी करानी पड़ती है। इन बैठकों में जो विकास के काम कराने का निर्णय होता है उसके बारे में जनपद या जिला पंचायत या सरकारी अधिकारियों से मिलकर पैसे का इंतजाम करती हूँ। ये काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं ये भी मुझे देखना पड़ता है। पैसे, जो पंचायत को मिल रहे हैं और खर्च हो रहे हैं उनका हिसाब–किताब भी देखना पड़ता है।

संध्या – अरे, आपको तो काफी काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बीमार पड़ें या कहीं शादी ब्याह में जाएँ तो क्या होगा? क्या पंचायत तब तक के लिए बंद हो जाएगी?

कलावती – नहीं–नहीं, मैं नहीं रहती हूँ तो मेरी जगह उपसरपंच पंचायत का काम देखते हैं। मेरे न रहने पर तो वे बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं।

संध्या – क्या उपसरपंच को भी सारे गाँव के लोग मिलकर चुनते हैं?

कलावती – नहीं। सारे पंच मिल कर अपने में से एक को उपसरपंच चुन लेते हैं।

l/;k u viuh dkih e fy[k fy;k fd d{kk e ljip d ckj e D;k&D;k dguk gA yfdu dN 'kCn NV x,A bUgs vki Hkfj,A

1. एक ––––– के मतदाता मिलकर पंच को चुनते है, जबकि सरपंच को पूरे ––––– के मतदाता चुनते हैं।
2. सभी पंच मिलकर अपने में से एक को ––––– चुनते हैं।
3. सरपंच की अनुपस्थिति में ––––– बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
4. पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता करना ––––– का काम है।

xke ipk;r dh cBd

अभय की जिम्मेदारी थी – ग्राम पंचायत के कामों के बारे में पता करना। उसने सोचा, क्यों न पंचायत की किसी बैठक में जाकर देखूँ वहाँ क्या होता है? अभय जब पंचायत भवन पहुँचा तो बैठक शुरू नहीं हुई थी। 12 पंचो में से सिर्फ 5 पंच ही आए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि दो और पंच आ जाएं तो बैठक शुरू करने के लिए कम–से–कम आधे से अधिक सदस्य उपस्थित हो जाएँगे। यानी कमालपुर पंचायत के 12 पंचों में से कम–से–कम 7 पंचों को बैठक में होना जरुरी था।

1. आधे से अधिक पंचों की उपस्थिति पंचायत की बैठक में क्यों आवश्यक है ?
2. रूपपुर पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं। वहाँ की बैठकों में कम–से–कम कितने पंचों को रहना चाहिए?

चित्र–3.2 ग्राम पंचायत की बैठक

कुछ ही देर बाद दो–तीन सदस्य और आ गए, एवं बैठक शुरू हो गई। सरपंच कलावती बाई बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

सबसे पहले सचिव ने पिछली बैठक के निर्णयों को पढ़कर सुनाया और उन पर जो काम हुआ था उसकी जानकारी दी। उसके बाद परसवारा गाँव के पंच बोले, ''हमारे गाँव के कुंओं में जलस्तर लगातार कम हो रहा है। ऐसे में कुछ ही महीनों में गाँव में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। गाँववाले चाहते हैं कि यहाँ जलग्रहण योजना चलाई जाए ताकि बारिश के पानी को संजोकर रख सकें। पंचायत में इसके बारे में योजना बननी चाहिए।''

पंच, सरपंच और उपसरपंच के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता बल्कि यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम पंचायत की बैठकों में हुई चर्चाओं एवं निर्णयों का रिकार्ड रखना तथा पंचायत की आमदनी और खर्च का लेखा–जोखा रखना होता है। सचिव को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है जबकि पंच, सरपंच और उप सरपंच को कोई वेतन नहीं मिलता है।

चंगोरा के पंच ने कहा, ''चंगोरा और मुख्य सड़क को जोड़नेवाली पुलिया का निर्माण होना था। यहाँ से प्रस्ताव पास होकर जनपद पंचायत के पास अनुदान राशि के लिए गया था। उसका क्या हुआ?''

सरपंच कलावती बाई ने कहा, ''पुलिया के लिए स्वीकृत राशि आ गई है। शीघ्र ही आपको काम चालू करवाना होगा।''

गांधी वार्ड के पंच ने कहा, ''हमारे वार्ड की प्राथमिक शाला में पिछले एक महीने से एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं जबकि यहाँ चार शिक्षकों को होना चाहिए। एक शिक्षक छुट्टी पर हैं, और दो किसी सर्वेक्षण में लगे हैं। ऐसे में शाला में पढाई कैसे होगी? ''सरपंच ने वादा किया कि वे विकासखंड शिक्षा अधिकारी से इसके बारे में चर्चा करेंगी।

मातापुरा की पंच उमा बाई ने बताया कि आजकल गाँव में मलेरिया और पीलिया बहुत फैला हुआ है। गाँव के डबरों व कुँओं की सफाई करवानी है। कुँओं में दवाई भी छिड़कवानी है। मैं अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेती हूँ पर कुछ पैसे चाहिए। उप सरपंच ने सभी उपस्थित पंचों से अपने–अपने मोहल्लों की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। उसके बाद मुंगेली–पंडरिया रोड से कमालपुर पहुँच मार्ग को जोड़ने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से बनाया गया। सभी ने उस पर हस्ताक्षर किए और दोपहर 2 बजे बैठक समाप्त हो गई।

चित्र–3.3 साफ सुथरा गाँव

xke ipk;r dh dke

बैठक के बाद अभय सरपंच के पास गया उसने कलावती बाई से कहा, ''मौसी मुझे नहीं पता था कि पंचायत में इतनी सारी बातें होती हैं। मै तो सोचता था कि इसका काम सड़क बनवाना है।'' जरा आप ही मुझे बताएँ कि पंचायत के और क्या–क्या काम हैं?

चित्र–3.4 अव्यवस्थित गाँव

कलावती ने कहा, बेटा हमारे कामों की सूची तो बहुत लंबी है, मगर मुख्य काम –

गाँव की साफ–सफाई करवाना, गाँव में पीने व निस्तार के पानी की व्यवस्था करवाना, सड़क, पुलिया, शाला का निर्माण और मरम्मत, विवाह, जन्म–मृत्यु को दर्ज करना। गाँव में पाठशाला और स्वास्थ्य सेवा की निगरानी करना, आदि है। इसके अलावा गाँव के विकास के लिए योजना बनाना तथा शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना भी पंचायत का काम है।

ग्राम पंचायत की आमदनी

अभय ने यह सब सुनकर पूछा, ''मौसी , मगर ये सब काम करने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। पंचायत को पैसे कहाँ से मिलते है' ?''

कलावती बोली, ''अच्छा हुआ जो तुमने यह पूछ लिया। ये सब काम करने के लिए पंचायत को केन्द्र और राज्य सरकार से पैसे मिलते हैं। इन सरकारों को गाँव में जो भी विकास कार्य कराना होता है वे उसे पंचायत के माध्यम से ही कराते हैं। वे इसके लिए निर्धारित राशि पंचायत को दे देते हैं और पंचायत उन कामों को करवाती हैं। इसके अलावा पंचायत गाँव के लोगों पर छोटे–मोटे कर लगाकर भी पैसे इकट्ठा कर सकती है।

अभय को आश्चर्य हुआ, ''पंचायत भी कर लगा सकती है? पंचायत कौन–से कर लगाती है?''

कलावती ने बताया, ''सफाई कर, गाँव में लगनेवाले दुकानों पर कर, मेले में लगने वाले दुकानों पर कर, आदि। इसके अलावा अगर गाँव में रेत–मुरम, पत्थर आदि के खदान हों तो उन पर ''रायल्टी'' भी वसूली जा सकती है। इन सबसे जो आय होती है उसी से पंचायत का काम चलता है।

अगले हफ्ते सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ग्राम पंचायत पर चर्चा हुई। छात्रों की टोलियों ने सबको बताया कि उन्होंने क्या–क्या पता किया।

नेहा ने पंचों के चुनाव के बारे में बताया। कक्षा में इस बात को लेकर बहस हुई कि बच्चों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है।

jkT; o dUn ljdkj d ckj e viu f'k{kd l ppk djA

ipk;r e vkj{k.k

IT255G

संध्या ने सबको सरपंच और उपसरपंच के बारे में जानकारी दी। उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसके गाँव की सरपंच एक महिला है। उसने सबको समझाया कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पंचायतों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण है। यानी हर पंचायत के कुछ वार्डों से केवल महिलाएँ, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी जाति के लोग वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी तरह हर विकासखंड के कुछ पंचायतों में केवल महिलाएँ या फिर आरक्षित वर्ग के लोग ही सरपंच के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।

शेख इमरान के मन में एक सवाल उठा –''क्या दूसरे वार्डों से केवल पुरूष या सामान्य जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं?''

इस पर संध्या बोली – ''नहीं, उन अनारक्षित पदों के लिए कोई भी – चाहे वह महिला हो या अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो– चुनाव लड़ सकता है।''

चंपा ने गुरु जी से पूछा – ''गुरु जी यह आरक्षण होता ही क्यों है? अगर सब समान हैं तो कोई किसी भी पद के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता?''

गुरु जी ने जवाब दिया , ''जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है, वे आमतौर से गरीब और सुविधाओं से वंचित होते हैं। वे सामान्य तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते। इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना बहुत ज़रूरी है।''

''यदि उन्हें इस प्रकार के अवसर न दिए जाए तो समाज के ये वर्ग उपेक्षित रहेगें और समाज में समानता नहीं आ सकेगी। इस कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को उचित आरक्षण दिया गया है। इसी आरक्षण के कारण ही आज हर पंचायत में कम–से–कम हर वर्ग के लोग भी पंच और सरपंच बन पाए हैं।''

''यदि किसी ग्राम पंचायत में 12 पंच हैं तो उनमें से कोई भी 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगें। आरक्षण का मतलब है कि उस पंच के पद पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते। पर इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएँ सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकतीं। महिलाएँ अपने लिए आरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। आरक्षण का मतलब यह होता है कि सामान्य जाति के लोग इन पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, पर अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामान्य क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं।''

1. आप कक्षा में चर्चा कीजिए कि आरक्षण के उद्देश्य आपके इलाके में पूरे हुए हैं या नहीं।
2. पता कीजिए कि आपके यहाँ ग्रामपंचायत के सरंपच का पद आरक्षित है या नहीं। यदि है तो किस वर्ग के लिए?

xke lHkk

अब सुभाष की बारी थी। उसे ग्रामसभा के बारे में पता करना था। सुभाष ने कहा, ''आप सब जानते हैं कि पिछले ही हफ्ते अपने गाँव की ग्रामसभा हुई थी। मैं पूरे समय सभा में रहा और जानकारी हासिल की।''

तभी रंजन पूछ बैठा– ''क्या ग्रामसभा में हम बच्चे भी भाग ले सकते हैं ?''

सुभाष ने स्पष्ट किया– ''ग्रामसभा में कोई भी बैठ सकता है मगर इसमें सिर्फ गाँव के मतदाताओं को ही वोट देने का अधिकार है।''

चित्र–3.5 ग्रामसभा की बैठक

फिर वह ग्रामसभा के बारे में बताने लगा। ''जब मैं ग्राम सभा में पहुँचा तो बैठक शुरू हो गई थी, पहला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आनेवाले परिवारों का अनुमोदन। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से एक योजना आई थी जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को गैस का चूल्हा और टंकी बाँटनी थी। इसलिए गाँव के ऐसे परिवारों का चयन किया जा रहा था।''

''गाँव का पंच होने के नाते भोला काका ने गाँव के उन परिवारों के नाम पढ़ना शुरू किया जो 'गरीबी रेखा' के नीचे पाए गए थे। उन्होंने करीब पंद्रह नाम पढ़े। इनमें से पाँच नामों पर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई। लखन तो गरीब नहीं है– उसके पास मोटरसाइकिल है, पक्का मकान है– किसी ने कहा। भोला काका ने बताया कि उसने यह सब कर्ज़ लेकर किया है। फिर भी सभी लोगों को लगा कि उसकी आमदनी इतनी है कि वह कर्ज़ की राशि पटा सके। तो उसका नाम सूची से काट दिया गया। ऐसे ही चार और लोगों के नाम काटे गए।''

''फिर गाँव में पंचायत द्वारा किए जा रहे कामों पर चर्चा की गई। स्कूल के अतिरिक्त कमरों पर चर्चा की गई। स्कूल का अतिरिक्त कमरा अधूरा पड़ा था, कई दिनों से काम भी बंद था। भोला काका ने बताया कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था, वह बीमार हो गया है। लोगों ने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ है तो दूसरा ठेकेदार लाया जाए। बरसात से पहले कमरा पूरा हो जाना चाहिए। भोला काका ने काम पूरा करवाने का आश्वासन दिया।''

''अगले दो– तीन घंटे ऐसे ही बैठक चलती रही। कई मुद्दों पर बातें हुईं। ग्राम पंचायत की आमदनी खर्च को भी प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा हुई।''

सुभाष ने आगे बताया कि ''पंचायत को जो भी काम करने होते हैं, उसके संबंध में उसे ग्राम सभा में प्रस्ताव पेश करना होता है। ग्रामसभा प्रस्ताव पर चर्चा करती है और उसे स्वीकृत करती है। ग्राम सभा की स्वीकृति के बगैर पंचायत कोई भी काम नहीं कर सकती। पंचायत सदस्यों को समय समय पर उन कामों की प्रगति के बारे में भी ग्रामसभा को बताना पड़ता है।''

ये सब सुनकर कक्षा की एक छात्रा केतकी खुश होकर बोलने लगी कि ग्रामसभा के माध्यम से गाँव का हरेक व्यक्ति अपने गाँव के विकास कार्य के निर्णय में भाग ले सकता है और इस बात पर निगरानी भी रख सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो रही हो।

xjhch j[kk d ckj e viu f'k{kd l ppk djA

tuin ipk;r

हमारी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये तीनों संस्थाएँ एक–दूसरे से कड़ी की भाँति जुड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य ये तीनों संस्थाएँ आपस में मिलकर करती हैं।

tuin ipk;r xBu

ग्राम पंचायत की भांति जनपद पंचायत का भी गठन चुनाव द्वारा होता है। जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है। 5 वर्ष के लिए चुने हुए सदस्यों के अलावा उस खण्ड के निर्वाचित विधायक, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं तथा सहकारी बैंक के प्रतिनिधि भी सहयोजित सदस्य होते हैं।

जनपद पंचायत के कामों की देखरेख के लिए जनपद पंचायत के सदस्य अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनते हैं। पंचायत की भाँति यहाँ पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। दोनों में से एक पद पर आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि होता है।

1. आपकी पंचायत किस जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है ?
2. आपके क्षेत्र का जनपद सदस्य कौन है?
3. मतदाता, निर्वाचित और सहयोजित (पदेन) शब्दों का अर्थ अपने गुरू जी से समझो।

tuin ipk;r d dk;

जनपद पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन दिलवाना है। जनपद पंचायत ही ग्राम पंचायत के कार्यों की देख–रेख भी करती है।

ग्रामों के समग्र विकास के लिए पंचायतों को विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराना है, जैसे–कृषि विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक आदि जनपद पंचायत महिला, युवा तथा बाल – कल्याण व निःशक्त, निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्य, परिवार नियोजन, खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था, सहायता तथा संचालन करती है। प्राकृतिक आपदाओं में आपात् सहायता की व्यवस्था, करना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार–प्रसार इसका कार्य है। आजकल जनपद पंचायत शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के कुछ पदों पर नियुक्ति भी करती है।

tuin ipk;r dh vk; d lk/ku

जनपद पंचायत को अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों के लिए विभिन्न साधनों से आय प्राप्त होती है। वह जनपद पंचायत क्षेत्र में मकान, जमीन, मेलों और बाजारों पर कर लगाकर धन एकत्र करती है। दूसरा जनपद पंचायत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करती है।

जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य जनपद पंचायत के निर्णयों को लागू करवाना होता है।

ftyk ipk;r

जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च कड़ी है। इसका गठन जिला स्तर पर होता है। इसके अंतर्गत जिले की सभी जनपद पंचायतें आती हैं।

ftyk ipk;r dk xBu

जनपद पंचायत की भाँति जिला पंचायत के सदस्य जिले के मतदाताओं द्वारा पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर जिला पंचायत के लिए एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है। जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकती है। जिले की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष भी इसका पदेन सदस्य होता है। जिलापंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है।

ftyk lgdkjh cd d ckj e viu f'k{kd l ppk djA

vkid {k= d ftyk ipk;r lnL; dk uke D;k g \

जिला पंचायत के सदस्य अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव मिलकर करते हैं। इनमें से एक पद पर आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि होता है। अगर कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, तो उनके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

ftyk ipk;r d dk;l

जिला पंचायत का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के कार्यों की देखरेख करना है। यह ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों को उनके कार्यों के लिए धन उपलब्ध करवाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को जिले में चलाने के लिए जिले के सभी सरकारी विभागों से तालमेल रखती है। जिला पंचायत कुछ पदों पर नियुक्ति भी करती है।

ftyk ipk;r dh vk; d lk/ku

जिला पंचायत की आय का प्रमुख साधन राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होता है। इसके अलावा जिला पंचायत मकानों, दुकानों, मेलों, आदि पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है।

e[; dk;ikyu vf/kdkjh

जिला पंचायत के निर्णयों को जिलों में लागू करवाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

viu ftyl d ftyk ipk;r d e[; dk;ikyu vf/kdkjh dk uke fyf[k,A

vH;kl d i'u

ITB174

(अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. पंचायत के चुनाव में खड़े होनेवाले उम्मीदवार को ––––– वर्ष का होना ज़रूरी है।
2. ––––– वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है।
3. पंचायत सचिव पंचायत के कामों का ––––– रखता है।
4. पंचायत के सदस्यों को पंचायत के कामों का लेखाजोखा समय–समय पर ––––– में पेश करना होता है।
5. जनपद पंचायत के सदस्य ––––– साल के लिए चुने जाते है।
6. पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च कड़ी ––––– है।
7. सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जिले में चलाना ––––– का काम है।
8. जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति ––––– द्वारा की जाती है।

(ब) गलत वाक्यों को सुधारकर लिखें–

1. किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच का महिला होना ज़रूरी है।
2. सरपंच के चुनाव में पंचायत क्षेत्र में रहनेवाला कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है।
3. ग्राम पंचायत के सचिव का चुनाव किसी एक वार्ड के मतदाता करते हैं।
4. उपसरपंच पंचायत की बैठक का संचालन करता है।
5. ग्राम पंचायत के सरपंच सरकारी कर्मचारी हैं।
6. पंचायतकर्मी का चुनाव जनता अपने मताधिकार के उपयोग से करती है।
7. गाँव का हर नागरिक ग्राम पंचायत का सदस्य होता है।

(स) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है ?
2. सरपंच का चुनाव किस प्रकार होता है ?
3. उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है।
4. आरक्षण के क्या फायदे हैं? क्या आपके विचार से विशेष वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए ?
5. अगर आपके वार्ड का पंच एक पुलिया बनवाना चाहता है तो उसे क्या–क्या करना पड़ेगा ?
6. आपके विचार में ग्राम पंचायत से संबंधित चार सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या–क्या हैं? लिखो।
7. पंचायत की आमदनी के क्या–क्या साधन हैं ?
8. ग्रामसभा के तीन अधिकार लिखिए।
9. जनपद पंचायत में चुने हुए सदस्यों के अलावा और कौन–कौन सदस्य होते है ?
10. जनपद पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है ?
11. जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ?
12. जिला पंचायत को आय कैसे प्राप्त होती है ?

(द) अपने शिक्षक या घर के लोगों से पता कीजिए –

अगर आपकी बड़ी बहन की शादी दूर के किसी गाँव में हो जाए तो क्या वह आपके गाँव के पंचायत के चुनाव में वोट डाल सकती है ?